भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 102*
(दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत निधि का आवंटन

*102. श्री टी. आर. बालू:
क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या हाल के वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए धनराशि का आवंटन बहुत कम कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के तहत राज्यों को 2019 से वास्तव में जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा धनराशि का कम उपयोग किया जा रहा है , यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) मार्च 2024 तक लंबित धनराशि जारी करने के राज्यों के दावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई) चरण में 86,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है , जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत बजट अनुमान (बीई) चरण में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे अधिक बजट आवंटन है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 27.11.2024 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बजट अनुमान चरण और संशोधित अनुमान चरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

		(रुपए करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
2019-20	60,000.00	71,001.81
2020-21	61,500.00	1,11,500.00
2021-22	73,000.00	98,000.00
2022-23	73,000.00	89,400.00
2023-24	60,000.00	86,000.00
2024-25 (दिनांक 27.11.2024 की स्थिति के अनुसार)	86,000.00	--

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 तक (दिनांक 27.11.2024 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य /संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार को निधि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। यह मंत्रालय "सहमत श्रम बजट" , कार्यों की मांग , प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियां, समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्य द्वारा संगत दस्तावेजों की प्रस्तुति के अधीन दो खेपों में निधियां आवधिक रूप से जारी करता है, जिनमें से प्रत्येक खेप में एक या इससे अधिक किस्तें शामिल होती हैं।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजते हैं। सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति राज्य सरकार के परामर्श से नए वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित श्रम बजट निर्धारित करती है। यह "सहमत श्रम बजट" बेहतर योजना के लिए एक सांकेतिक संख्या है ताकि समय पर मांग के अनुसार काम प्रदान किया जा सके। नामांकित परिवारों द्वारा रोजगार की मांग के आधार पर इस "सहमत श्रम बजट" में संशोधन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी घटक के संबंध में कोई लंबित देयता नहीं है। नरेगासॉफ्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटक के लिए 16,300 करोड़ रुपए की राशि लंबित थी , जिसे वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में जारी किया जा चुका है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के नियत तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 और 2024-25 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत दिनांक 27.11.2024 तक जारी केंद्रीय निधि (करोड़ रुपए में)							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2022-23	
		वेतन	सामग्री और प्रशासन	वेतन	सामग्री और प्रशासन	वेतन	सामग्री और प्रशासन
1	आंध्र प्रदेश	5495.13	1542.51	5629.31	1703.32	5118.93	2870.16
2	अरुणाचल प्रदेश	310.62	118.53	283.19	142.91	352.14	225.44
3	असम	1225.62	366.82	1943.17	278.22	1831.4	222.16
4	बिहार	4474.59	1911.97	4284.17	1915.87	5024.83	1369.62
5	छत्तीसगढ़	2259.77	527.39	2088.35	800.2	2381.67	1025.34
6	गोवा	1.50	1.4	0.88	0	3.75	1.29
7	गुजरात	824.71	391.01	1000.81	800.81	1011.03	683.57
8	हरियाणा	332.24	185.98	357.77	118.95	306.35	67.63
9	हिमाचल प्रदेश	737.41	392.77	597.66	399.47	656.13	503.37
10	जम्मू एवं कश्मीर	703.94	188	725.61	194.83	704.37	346.25
11	झारखंड	1722.63	280.64	2249.64	667.12	2196.3	518.46
12	कर्नाटक	3504.03	1447.81	3794.71	1621.03	3793.51	2417.52
13	केरल	2144.66	582.67	2953.63	559.85	2935.75	881.21
14	मध्य प्रदेश	3173.68	1953.23	3640.64	2230.51	4541.45	1156.39
15	महाराष्ट्र	2838.69	1028.21	1947.47	1086.97	1744.29	799.32
16	मणिपुर	276.35	39.7	0	0	757	1086.63
17	मेघालय	484.48	384.5	577.41	334.92	670.25	446.68
18	मिजोरम	389.05	16.12	447.58	58.48	420.13	118.59
19	नागालैंड	91.50	144.7	422.93	215.03	573.06	264.39
20	ओडिशा	1938.39	1093.1	3930.67	961.22	3743.86	956.29
21	पंजाब	729.67	376.43	928.24	238.31	883.11	299.03
22	राजस्थान	5778.69	1259.8	6490.07	2181.55	6757.26	2891.39

23	सिक्किम	63.08	21.02	75.7	36.26	70.46	22.09
24	तमिलनाडु	5518.24	1444.64	10191.64	2411.72	7469.9	2238.92
25	तेलंगाना	2723.30	1024.67	1785.29	1723.3	2027.44	954.34
26	त्रिपुरा	597.92	288.07	724.3	319.29	672.17	250.6
27	उत्तर प्रदेश	6225.96	2803	7176.97	2631.58	6551.57	4075.85
28	उत्तराखंड	344.73	147.63	384.98	166.67	433.61	357.17
29	पश्चिम बंगाल	**	**	**	**	**	**
30	अंडमान और निकोबार	2.31	0	0	0	8	9.6
31	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0
32	पुदुचेरी	38.27	1.77	50.39	8.38	20.65	4.3
33	लद्दाख	43.42	13.79	44.66	17.98	42.3	26.7
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4.16	0.18	0	2.21	1	1.62
कुल		**54998.78**	**19978.06**	**64727.83**	**23826.93**	**63703.68**	**27091.92**

** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण पश्चिम बंगाल राज्य को दी जाने वाली निधियां दिनांक 09 मार्च, 2022 से रोक दी गई हैं।

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2019-20	
		वेतन	सामग्री और प्रशासन	वेतन	सामग्री और प्रशासन	वेतन	सामग्री और प्रशासन
1	आंध्र प्रदेश	5270.54	1943.88	6273.13	4031.97	4510.63	2694.1
2	अरुणाचल प्रदेश	326.09	130.19	224.89	115.39	84.81	210.2
3	असम	2126.41	256.84	2154.95	447.38	1222.02	465.5
4	बिहार	3539.93	1900	4756.87	2527.36	2305.56	945.38
5	छत्तीसगढ़	2849.06	1057.14	3362.94	580.54	2033.52	606.8
6	गोवा	0.24	0	2.34	3.57	0.85	2.17
7	गुजरात	1159.92	455.69	1066.02	412.1	565.32	182.26
8	हरियाणा	461.95	265.58	600.89	162.67	242.58	95.55
9	हिमाचल प्रदेश	743.4	241.31	736.75	211.58	423.71	173.77
10	जम्मू एवं कश्मीर	867.93	95.24	810.49	341.83	691.02	1183.7
11	झारखंड	2238.73	837.91	2399.42	1024.67	945.79	327.14
12	कर्नाटक	4680.81	1383.21	4251.44	1249.55	2690.96	2771.75
13	केरल	3030.03	438.98	3356.22	930.55	3173.83	346.34
14	मध्य प्रदेश	5569.66	2930.25	6419.71	2667.01	3495.46	1223.48
15	महाराष्ट्र	1670.9	405.07	1351.62	248.63	1098.01	572.65
16	मणिपुर	553.65	563.11	596.26	1306.74	252.08	610.75
17	मेघालय	897.76	239.89	974.97	309.2	602.69	421.75
18	मिजोरम	464.11	86.08	501.75	88.7	469.54	55.54
19	नागालैंड	311.26	263.75	263.61	483.82	414.5	330.45
20	ओड़िशा	4321.9	1391.42	4219.2	996.09	1604.74	828.05
21	पंजाब	913.08	358.38	1021.25	217.89	603.02	145.84
22	राजस्थान	7793.29	2093.27	8097.76	823	5158.53	2108.95
23	सिक्किम	74.38	38.29	80.75	29.42	56.56	26.13
24	तमिलनाडु	7358.88	2283.32	6958.79	1830.02	4503.88	1055.82
25	तेलंगाना	2680.23	1557.86	2634.34	1476.87	1693.05	528.27
26	त्रिपुरा	822.16	174.28	904.4	290.58	579.41	151.73
27	उत्तर प्रदेश	6644.45	1906.89	7817.58	4196.52	4337.6	1679.41
28	उत्तराखंड	503.45	142.68	713.17	173.09	306.85	148.95

29	पश्चिम बंगाल	5645.91	1900	9397.68	2056.37	6215.73	2291.88
30	अंडमान और निकोबार	5.62	7.63	5.81	4.86	3.09	5.84
31	लक्षद्वीप	0.1	0.3	0.5	0	0.9	0.24
32	पुदुचेरी	14.11	0	24.44	2.4	13.55	3.37
33	लद्दाख	42.48	16.57	22.49	0	0	0
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
कुल		**73582.42**	**25365.02**	**82002.45**	**29240.38**	**50299.81**	**22193.73**

*****